**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1251 का उत्‍तर**

**दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का स्तरोन्नयन**

**1251. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

**श्री राज बब्बरः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या हाल की रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यात्री सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न सुरक्षा मानकों तथा अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए विचार/प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और सुरक्षा मानकों के इस प्रकार के उन्नयन हेतु निर्धारित व्यय सहित इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का स्‍तरोन्‍नयन के संबंध में दिनांक 27.07.2018 को राज्‍य सभा में श्री नारायण लाल पंचारिया और श्री राज बब्‍बर के अतारांकित प्रश्‍न सं.1251 के भाग (क) से (ङ)के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): भारतीय रेलों में संरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तथा यात्रियों की संरक्षा संवर्धन के लिए सतत आधार पर हरसंभव कदम उठाए जाते हैं। हालिया दुर्घटनाओं को ध्‍यान में रखते हुए विशिष्‍ट उपाय के तौर पर, निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. 01.04.2018 से आईसीएफ सवारी डिब्‍बों का निर्माण पूरी तरह से रोक देने और एण्‍टी-क्‍लाईम्बिंग विशेषताओं वाले सुरक्षित लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) डिजाइन के सवारी डिब्‍बों को शिफ्ट करने का विनिश्‍चय किया गया है।
2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी बिजली इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं जो ड्राइवर के सकारात्‍मक कार्रवाई के जरिए कार्य करता है जैसे मास्‍टर कंट्रोलर का परिचालन, ब्रेक लगाना और बटन दबाना आदि, जो प्रत्‍येक 60 सेकण्‍ड के बाद ड्राइवर की सजगता की जांच करता है और कमी पाए जाने पर ब्रेक लगाता है, जिससे संरक्षा सुनिश्चित होती है।
3. लोको पायलटों के ड्राइविंग कौशल तथा रिएक्‍शन टाइम में सुधार लाने के लिए उन्‍हें सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4. लोको पायलटों की सजगता की जांच करने और अन्‍य संरक्षा मानदंडों के लिए नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
5. मानवीय विफलताओं को समाप्‍त करने और पुरानी यांत्रिक प्रणाली को बदलने के लिए, प्‍वाइंट और सिगनलों के केन्‍द्रीकृत परिचालन सहित इलेक्ट्रिकल/इलेक्‍ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली मुहैया कराई जा रही है। 30.06.2018 तक 5786 स्‍टेशनों में ये प्रणालियां मुहैया कराई हैं।
6. 30.06.2018 तक लगभग 6001 स्‍टेशनों पर मानव तत्‍व के स्‍थान पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोगिता के सत्‍यापन हेतु संरक्षा बढ़ाने के लिए स्‍टेशनों का संपूर्ण रेलपथ परिपथन कार्य पूरा हो गया है।
7. अगली गाड़ी को लाइन क्‍लीयर की अनुमति देने से पहले मैनुअल हस्‍तक्षेप के बिना और मानवीय तत्‍व को कम करने के लिए, गाड़ी का पूरी तरह से आगमन सुनिश्चित करने हेतु ब्‍लॉक खंड के स्‍वचालित क्‍लीयरेंस के लिए 30.06.2018 तक 5125 ब्‍लॉक खंडों पर एक्‍सल काउंटरों की व्यवस्था की गई है।
8. दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिगनल वाले समपार फाटकों को सुरक्षित करने हेतु 30.06.2018 तक 11085 समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग पूरी कर दी गई है।
9. ऑटोमेटिक गाड़ी सुरक्षा प्रणाली:-

* 342 मार्ग कि.मी. (दिल्ली-आगरा खंड का 200 मार्ग कि.मी., चेन्नै खंड का 117 मार्ग कि.मी. और मेट्रो रेलवे, कोलकाता का 25 मार्ग कि.मी.) पर गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) नामक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
* सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस) नामक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली वर्तमान में मध्य रेलवे (240 मार्ग कि.मी.) और पश्चिम रेलवे (124 मार्ग कि.मी.) के मुंबई उपनगरीय खंड के 364 मार्ग कि.मी. में काम कर रही है।
* गाड़ी बचाव टक्कर प्रणाली (टीसीएएस) नामक स्वदेश में विकसित की जा रही एटीपी प्रणाली का पायलट परियोजना के रूप में दक्षिण मध्य रेलवे के 250 मार्ग कि.मी. पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) और (घ): जी हां। निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. बिजली इंजनों पर क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली का प्रावधान- क्रू वॉयस/वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली, विफलता के बाद घटना का विश्‍लेषण करने के लिए रेलइंजन कैब की कारगर और टैंपर पूफ्र वीडियो तथा वॉयस रिकार्डिंग सुनिश्चित करता है। दिसम्‍बर, 2017 में क्रू वॉयस/विडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली को रेलइंजन सं.32001 में परीक्षण आधार पर लगाया गया है।
2. बजट 2018-19 में राष्‍ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के तहत 500 अदद क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली स्‍वीकृत की गई है।
3. भारतीय रेलों पर चल स्‍टॉक के अनुरक्षण और जांच के बुनियादी भाग के रूप में, रेलवे के संरक्षा उपायों और अवसंरचना का अपग्रेडेशन करना निरंतर चलने वाली सतत क्रियाकलाप है।
4. प्राथमिक रेलपथ अनुरक्षण के समय पीएससी (प्री-स्‍ट्रैस्‍ड रिइन्‍फोर्स्‍ड कंक्रीट) स्‍लीपरों, 60 किग्रा. 90 अथवा उच्‍चतर यूटीएस (अल्‍टीमेट टेन्‍साइल स्‍ट्रैन्‍थ) पटरियां, टर्नआऊटों के लिए पीएससी स्‍लीपरों पर फैन शेप लेआऊट, गर्डर पुलों पर स्‍टील चैनल स्‍लीपर की आधुनिक रेलपथ संरचना का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, चिह्नित मार्गों पर थिक वेब स्विच बिछाने का विनिश्‍चय किया गया है, जो एक सतत प्रक्रिया है।
5. भारतीय रेलों पर संपूर्ण सिगनल प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य, अपेक्षित प्रक्रियाओं/ अनिवार्य अनुमोदनों और स्‍वीकृतियों के अध्‍यधीन इस परियोजना पर व्‍यय सहित भारतीय रेल के बड़ी लाइन (बीजी) नेटवर्क के संपूर्ण 60000 मार्ग किलोमीटर पर कार्यान्वित करने के लिए 2018-19 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

संरक्षा संबंधी क्रियाकलापों पर किया गया व्‍यय बजट के राजस्‍व और पूंजी खंड दोनों का भाग है। 2017-18 में संरक्षा संबंधी क्रियाकलापों पर 62152 करोड़ रुपए का व्‍यय किया गया है। इसके अलावा, 2018-19 में इसके लिए 73065 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। संरक्षा संबंधी क्रियाकलापों पर किए गए व्‍यय का विवरण परिशिष्‍ट के रूप में संलग्‍न है।

(ड.): प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का स्‍तरोन्‍नयन के संबंध में दिनांक 27.07.2018 को राज्‍य सभा में श्री नारायण लाल पंचारिया और श्री राज बब्‍बर के अतारांकित प्रश्‍न सं.1251 के भाग (ग) और (घ) के उत्‍तर से संबंधित **परिशिष्‍ट।**

सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों (सभी भारतीय रेलों) पर व्‍यय

(करोड़ रु. में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **वास्‍तविक**  **2017-18 (लगभग)** | **बजट अनुमान 2018-19** |
| **संरक्षा पर राजस्‍व व्‍यय (सकल):** |  |  |
| रेलपथ की मरम्‍मत और अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य | 13925 | 14619 |
| मोटिव पॉवर की मरम्‍मत और अनुरक्षण | 6288 | 6745 |
| कैरिज एवं वैगन की मरम्‍मत और अनुरक्षण | 15053 | 15825 |
| संयंत्र एवं उपकरण की मरम्‍मत और अनुरक्षण | 7752 | 8751 |
| **परिचालन व्‍यय- यातायात- लघु शीर्ष 600-संरक्षा** | 32 | 31 |
| **कुल राजस्‍व (संरक्षा):** | **43050** | **45971** |
| संरक्षा पर पूंजीगत व्‍यय (सकल): |  |  |
| परिसंपत्तियां – अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्‍थापन: |  |  |
| सड़क संरक्षा निर्माण कार्य – समपार | 535 | 700 |
| सड़क संरक्षा निर्माण कार्य – ऊपरि सड़क/निचले सड़क पुल | 5449 | 6300\* |
| रेलपथ नवीकरण | 8897 | 11450 |
| पुल संबंधी निर्माण कार्य | 453 | 740 |
| सिगनल एवं दूरसंचार निर्माण कार्य | 1254 | 2025 |
| कारखाने (चल स्‍टॉक का पीओएच/आईओएच) | 936 | 2579 |
| अन्‍य योजना शीर्ष (आरआरएसके के तहत) | 1578 | 3300 |
|  |  |  |
| कुल पूंजी (संरक्षा): | **19102** | **27094** |
|  |  |  |
| संरक्षा संबंधी क्रियाकलापों पर कुल व्‍यय (राजस्‍व + पूंजी) | **62152** | **73065** |
| \*इनमें बजटेतर स्रोतों के तहत निधियां शामिल हैं | | |

\*\*\*\*\*\*